रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10112021-231002
CG-MH-E-10112021-231002

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2021/कार्तिक 18, 1943
No. 547] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2021/KARTIKA 18, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 9 नवम्बर, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(पोर्टफोलियो प्रबंधक) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेवी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/58.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से तीसवें दिन लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में,-

   I. विनियम 2 में,

      i. उप-विनियम (1) में,

क. खंड (कख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(कग) "आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) में इसके लिए दिया हुआ है;"

ख. खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(चक) "सह-निवेश पोर्टफोलियो प्रबंधक" का अर्थ है - वह पोर्टफोलियो प्रबंधक, जो प्रवर्ग-I या प्रवर्ग-II की आनुकल्पिक निवेश निधि (निधियों) का प्रबंधक हो; और:

(i) केवल प्रवर्ग-I या प्रवर्ग-II की ऐसी आनुकल्पिक निवेश निधि (निधियों) के निवेशकों को ही सेवाएँ प्रदान करता हो; और

(ii) केवल इन्वेस्टी कंपनियों (ऐसी कंपनियाँ जिनमें निवेश किया जाए) की असूचीगत प्रतिभूतियों (अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज़) में निवेश करता हो, जहाँ प्रवर्ग-I या प्रवर्ग-II की आनुकल्पिक निवेश निधि (निधियाँ) निवेश करती हो (हों):

परंतु यह कि सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक प्रवर्ग-I या प्रवर्ग-II की किसी (किन्हीं) ऐसी दूसरी आनुकल्पिक निवेश निधि (निधियों) के निवेशकों को सेवाएँ प्रदान कर सकेगा जिसका (जिनका) प्रबंधन उसके द्वारा किया जाता हो और जो एक ही प्रायोजक (प्रायजकों) द्वारा प्रायोजित भी हो (हों);"

ग. खंड (ठक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,-

"(ठख) "इन्वेस्टी कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ण) में इसके लिए दिया हुआ है;

(ठग) "प्रबंधक" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (थ) में इसके लिए दिया हुआ है;"

घ. खंड (थ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(द) "प्रायोजक" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ब) में इसके लिए दिया हुआ है;"

II. विनियम 7 के उप-विनियम (2) में,

i. खंड (घ) के उप-खंड (iii) में,

क. तीसरे परंतुक में, चिह्न "।", चिह्न ":" से प्रतिस्थापित हो जाएगा ।

ख. तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक, प्रबंधक के मुख्य निवेश दल के एक ऐसे सदस्य को मुख्य अधिकारी (प्रिन्सिपल ऑफिसर) के रूप में पदनामित कर सकेगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 के विनियम 4 के खंड (छ) में दिए हुए मानदंडों में से किसी भी मानदंड पर खरा उतरता हो, और उस मामले में खंड (घ) के तहत दी हुई अपेक्षा इस प्रकार नियुक्त किए गए मुख्य अधिकारी पर लागू नहीं होगी;"

ii. खंड (ङ) के उप-खंड (ii) में,

क. दूसरे परंतुक में, चिह्न "।", चिह्न ":" से प्रतिस्थापित हो जाएगा ।

ख. दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि ऊपर खंड (ङ) के तहत दी हुई अपेक्षा सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक पर लागू नहीं होगी;"

iii. खंड (छ) में,

क. चिह्न ";", चिह्न ":" से प्रतिस्थापित हो जाएगा ।

ख. निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि ऊपर खंड (छ) के तहत दी हुई अपेक्षा सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक पर लागू नहीं होगी;"

III. विनियम 9 में,

i. दूसरे परंतुक में, चिह्न "।", चिह्न ":" से प्रतिस्थापित हो जाएगा ।

ii. दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि इस विनियम के तहत दी हुई अपेक्षा सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक पर लागू नहीं होगी ।"

IV. विनियम 11 में,

i. खंड (ङ) में,

क. चिह्न "।", चिह्न ":" से प्रतिस्थापित हो जाएगा ।

ख. निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि ऊपर खंड (ङ) के तहत दी हुई अपेक्षा सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक पर लागू नहीं होगी ।"

V. विनियम 22 में,

i. उप-विनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,-

"परंतु यह कि सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक के मामले में, किसी इन्वेस्टी कंपनी में सह-निवेशक (को-इन्वेस्टर) द्वारा किए जाने वाले सह-निवेश की शर्तें आदि आनुकल्पिक निवेश निधि के निवेश की शर्तों आदि की तुलना में ज्यादा हितकर नहीं होंगी:

परंतु यह और कि सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक के मामले में, किसी इन्वेस्टी कंपनी में किए जाने वाले सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) से निकास (एग्ज़िट) की शर्तें आदि (जिनमें निकास का समय आदि भी शामिल है) वैसी ही होंगी, जैसी आनुकल्पिक निवेश निधि के निकास के मामले में लागू हैं:

परंतु यह और कि सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक के मामले में, इन्वेस्टी कंपनियों में किए जाने वाले सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) के संबंध में सह-निवेशकों (को-इन्वेस्टर) को समय से पहले उतना ही पैसा निकाले जाने की अनुमति दी जाएगी जितना पैसा आनुकल्पिक निवेश निधि ने ऐसी इन्वेस्टी कंपनियों में किए गए निवेश से निकाला हो ।"

ii. उप-विनियम (4) के खंड (ङ) में, पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक के प्रदर्शन का आकलन उसी प्रकार किया जाएगा, जैसा सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक और ग्राहक के बीच तय हुआ हो:"

iii. उप-विनियम (6) में,

क. चिह्न "।", चिह्न ":" से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

ख. निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि इस उप-विनियम के तहत दी हुई अपेक्षा सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक पर लागू नहीं होगी।"

VI. विनियम 23 में,

i. उप-विनियम (2) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि प्रति ग्राहक न्यूनतम निवेश की रकम संबंधी अपेक्षा सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक पर लागू नहीं होगी।"

VII. विनियम 24 में,

i. उप-विनियम (1) में,

क. खंड (ख) में, चिह्न "।", चिह्न ":" से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

ख. खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि खंड (ख) के तहत दी हुई अपेक्षा सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक पर लागू नहीं होगी।"

ii. उप-विनियम (2) के खंड (क) में,

क. चिह्न ";", चिह्न ":" से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

ख. निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि खंड (क) सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक पर लागू नहीं होगा।"

iii. उप-विनियम (4क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(4ख) सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक शत-प्रतिशत प्रबंधनाधीन आस्तियों (असेट अंडर मैनेजमेंट) का निवेश इन्वेस्टी कंपनियों की असूचीगत प्रतिभूतियों (अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज़) में करेगा, जहाँ प्रबंधक के रूप में उसके द्वारा प्रबंधित प्रवर्ग-I और प्रवर्ग-II की आनुकल्पिक निवेश निधियाँ निवेश करती हों;"

VIII. विनियम 26 में,

i. परंतुक में, चिह्न "।", चिह्न ":" से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

ii. पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि यह विनियम सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक पर लागू नहीं होगा।"

IX. विनियम 34 के उप-विनियम (1) के परंतुक में,

i. चिह्न "।", चिह्न ":" से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

ii. पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक के मामले में, अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) की भूमिका विनियम 7 के उप-विनियम (2) के खंड (घ) के अनुसार नियुक्त किए गए मुख्य अधिकारी को सौंपी जा सकेगी।"

X. अनुसूची-I का फॉर्म-क निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"फॉर्म - क

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन

आवेदक का नाम: ____

[यदि आवेदक केवल सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) की सेवाएँ दे रहा हो, तो आनुकल्पिक निवेश निधि के प्रबंधक का नाम]

संपर्क व्यक्ति का नाम: ____

[नोट: केवल अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) / मुख्य अधिकारी]

संपर्क व्यक्ति का पदनाम : ____

मोबाइल नं.: ____________________________

ई-मेल : ______________________________________

अनुदेश:

1. *आवेदकों को आवेदन फॉर्म पूरी तरह से भरकर जरूरी समर्थक दस्तावेजों के साथ बोर्ड के पास प्रस्तुत करना होगा।*
2. *यह जरूरी है कि यह आवेदन फॉर्म इन विनियमों के अनुसार भरा जाए।*
3. *रजिस्ट्रीकरण हेतु किए गए आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा, जब वह हर तरह से पूरा हो।*
4. *सभी जवाब टाइप करवाकर प्रस्तुत किए जाएँगे ।*
5. *जो जानकारी विस्तार से देनी जरूरी हो, वह जानकारी अलग पृष्ठों पर दी जा सकेगी और जो आवेदन फॉर्म के साथ लगाए जाएँ।*
6. *सभी हस्ताक्षर मूल रूप में होंगे।*

भाग-I : सामान्य जानकारी

1.0 *आवेदक के विवरण*

1.1 *आवेदक का नाम [यदि आवेदक केवल सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) की सेवाएँ दे रहा हो, तो आनुकल्पिक निवेश निधि के प्रबंधक का नाम]:*

1.2 *पैन नं. (पैन कार्ड की प्रति संलग्न करें)*

1.3 *पंजीकृत (रजिस्ट्रीकृत) कार्यालय का पता: (पते का सबूत संलग्न करें)*

पिन कोड: ____________________

मोबाइल नं. ______________________________________ *दूरभाष सं:* ___________________________

फैक्स सं.: ____ *ई-मेल :* _____________________

1.4 *पत्र-व्यवहार का पता:*

पिन कोड: ____________________

*मोबाइल नं.:*_______________________________________ *दूरभाष सं.:* _________________________

फैक्स सं.: ____ *ई-मेल:*____________________

1.5 *पता – कारोबार का मुख्य स्थान:*

[जहाँ पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा (पीएमएस) संबंधी क्रियाकलाप किया जाएगा]

पिन कोड: ____________________

*मोबाइल नं.:*______________________________________ *दूरभाष सं.:* __________________________

फैक्स सं.: ____ *ई-मेल:* _____________________

1.6 *यदि पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा (पीएमएस) संबंधी क्रियाकलाप किन्हीं शाखा कार्यालयों से किए जाने का प्रस्ताव हो, तो ऐसे शाखा कार्यालयों के ब्यौरे, जिनमें शामिल हैं – पता, संपर्क व्यक्ति का नाम, संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नं., संपर्क व्यक्ति का ई-मेल, आदि:*

2.0 *संगठनात्मक ढाँचा*

2.1 *उद्देश्य: संक्षेप में*

[संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद (मैमोरेन्डम एंड आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन) / भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) संलग्न किए जाएँ]

(बोर्ड के संकल्प (रेज़ोल्यूशन) की प्रति संलग्न की जाए)

2.2 *गठन किस तारीख को और कहाँ हुआ:*

दिन महीना वर्ष स्थान

आरओसी से प्राप्त पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) सं.

2.3 *आवेदक की स्थिति: (उदाहरण के लिए - लिमिटेड कंपनी-प्राइवेट/पब्लिक, एलएलपी, आदि, यदि सूचीबद्ध (लिस्टिड) हो, तो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के नाम दिए जाएँ।)*

2.4 *संगठन का चार्ट (संलग्न किया जाए):*

[जिसमें यह अलग-अलग दर्शाया जाए कि पोर्टफोलियो प्रबंधन संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में किस-किस की क्या-क्या जिम्मेदारियाँ हैं (नाम व पदनाम सहित)]

2.5 *सभी निदेशकों/भागीदारों के विवरण:*

[नाम; पता; अर्हता (योग्यता); नियुक्ति की तारीख; डीआईएन; पैन (पैन कार्ड की प्रति); दूरभाष सं.; मोबाइल नं.; ई-मेल]

अनुभव:

एंटिटी का नाम	पदनाम	कार्य-क्षेत्र	कार्य का स्वरूप	अनुभव (वर्षों में)

(कार्य के अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए अलग से पृष्ठ लगाएँ)

अन्य निदेशक पद / भागीदारियाँ; (नाम और नियुक्ति की तारीख);

एंटिटी का नाम	नियुक्ति की तारीख	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग) का प्रतिशत

2.6 *प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों के विवरण*

[नाम; पता; अर्हता (योग्यता); पदनाम; नियुक्ति की तारीख; पैन नं. (पैन की प्रमाणित प्रति); दूरभाष सं.; मोबाइल नं.; ई-मेल]

अनुभव:

एंटिटी का नाम	पदनाम	कार्य-क्षेत्र	कार्य का स्वरूप	अनुभव (वर्षों में)

(कार्य के अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए अलग से पृष्ठ लगाएँ)

अन्य निदेशक पद के ब्यौरे:

एंटिटी का नाम	नियुक्ति की तारीख	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग) का प्रतिशत

निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ :

1. *यह घोषणा कि ऊपर उल्लिखित व्यक्ति वर्तमान में संगठन में कार्यरत है ।*
2. *संबंधित व्यक्तियों द्वारा यह वचन कि उनके संबंध में प्रस्तुत किए जा रहे ब्यौरे उनकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं ।*
3. *कार्य के अनुभव के संबंध में समर्थक दस्तावेज ।*

2.7 *संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) के विवरण:*

[प्रकार (व्यक्ति / कारपोरेट); नाम; पैन (पैन कार्ड की प्रति); पता; दूरभाष सं.; मोबइल नं.; ई-मेल]

2.8 *अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) के विवरण*

[नाम; पैन (पैन कार्ड की प्रति); अर्हता (योग्यता), नियुक्ति की तारीख; पता;]

अनुभव:

कंपनी का नाम	पदनाम	कार्य-क्षेत्र	कार्य का स्वरूप	अनुभव (वर्षों में)

(कार्य के अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए अलग से पृष्ठ लगाएँ)

2.9 *मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर) के विवरण*

[नाम; पैन (पैन कार्ड की प्रति); अर्हता (योग्यता), नियुक्ति की तारीख; पता;]

प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन) के ब्यौरे:

प्रमाणीकरण कार्यक्रम (सर्टिफिकेशन प्रोग्राम)	परीक्षा की तारीख	परिणाम	प्रतिशत	प्रमाणपत्र सं.	कब से मान्य है	कब तक मान्य है

निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ :

1. *बायो-डाटा, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 के विनियम 7(2)(घ) के अनुसार संबंधित अनुभव के ब्यौरे दिए जाएँ ।*
2. *प्रमाणीकरणों (सर्टिफिकेशन) की प्रति ।*

3. प्रमाणपत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि मुख्य अधिकारी (प्रिंसिपल ऑफिसर) की नियुक्ति कर ली गई है और वह अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है और जो इन विनियमों के तहत अन्य किसी भी प्रकार से अयोग्य नहीं है।

4. यदि सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधन की सेवाएँ देने वाले आवेदक ने प्रबंधक के मुख्य निवेश दल के किसी ऐसे सदस्य को मुख्य अधिकारी के रूप में पदनामित किया हो, जो निर्धारित किए गए मानदंडों {अर्थात् अनुभव या व्यावसायिक योग्यता, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 के विनियम 4(छ) में दिया हुआ है} में से किसी भी मानदंड पर खरा उतरता हो, तो इस आशय का एक वचन प्रस्तुत किया जाएगा।

2.10 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से किसी अन्य रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे

यदि रजिस्ट्रीकृत है, तो उसके ब्यौरे ;

रजिस्ट्रीकरण सं.	भूमिका	कंपनी का नाम	स्टॉक एक्सचेंज	रजिस्ट्रीकरण शुरू होने की तारीख	रजिस्ट्रीकरण समाप्त होने की तारीख	रजिस्ट्रीकरण की स्थिति

यदि आवेदन किया हुआ है, तो उसके ब्यौरे:

आवेदन सं.	भूमिका	कंपनी का नाम	स्टॉक एक्सचेंज	आवेदन की तारीख	आवेदन की स्थिति

2.11 कर्मचारियों की संख्या

[कर्मचारियों की कुल संख्या और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं संबंधी कार्यों से जुड़े कर्मचारियों की संख्या]

2.12 सहयोगी (असोसिएट) कंपनियों / एंटिटियों का नाम और उनके क्रियाकलाप

कंपनी / एंटिटी का नाम	पता/फोन नंबर	किस प्रकार का क्रियाकलाप किया जाता है	किस प्रकार का वित्तीय लेनदेन किया जाता है / कितना वित्तीय लेनदेन किया गया है	संप्रवर्तक / निदेशक के हित का स्वरूप	आवेदक कंपनी / एंटिटी के हित का स्वरूप

स्वामित्व के ब्यौरे :

शेयरधारक का नाम	*शेयरों की संख्या*	*शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग) का प्रतिशत*

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) या किसी अन्य सरकारी विनियामक निकाय (रेग्यूलेटरी बॉडी) से रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे :

विनियामक (रेग्यूलेटर) का नाम	*रजिस्ट्रीकरण सं.*	*रजिस्ट्रीकरण शुरू होने की तारीख*	*रजिस्ट्रीकरण समाप्त होने की तारीख*	*रजिस्ट्रीकरण की स्थिति*	*यदि पहले कभी कार्रवाई की गई हो, तो उसके ब्यौरे*

2.13 *आवेदक के बड़े शेयरधारकों / भागीदारों की सूची (जो 5% या उससे अधिक मताधिकार रखते हैं) :*

[नाम; प्रकार; पता; दूरभाष सं.; मोबाइल नं.; ई-मेल; अब तक की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता स्वरूप (शेयरहोल्डिंग पैटर्न) / भागीदारी हित (पार्टनरशिप इंटरेस्ट) / मताधिकार]

3.0 *बुनियादी सुविधाओं के ब्यौरे*

3.1 कारोबार का मुख्य स्थान

(1) कार्यालय स्थान

(2) कार्यालय उपस्कर (उपकरण)

(3) फर्नीचर आदि

(4) संचार की सुविधाएँ

(5) डाटा प्रोसेसिंग क्षमता

(क) आंतरिक

(ख) अन्य

(6) कंप्यूटर की सुविधा:

(क) हार्डवेयर कॉनफिग्रेशन

(ख) सॉफ्टवेयर एनवायरमेंट

(7) संकट निवारण की व्यवस्था / सतत कारोबार योजना (बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान) के ब्यौरे

3.2 शाखा कार्यालय

(1) कार्यालय स्थान

(2) कार्यालय उपस्कर (उपकरण)

(3) फर्नीचर आदि

(4) संचार की सुविधाएँ

(5) डाटा प्रोसेसिंग क्षमता

(क) आंतरिक

(ख) अन्य

(6) कंप्यूटर की सुविधा:

(क) हार्डवेयर कॉनफिग्रेशन

(ख) सॉफ्टवेयर एनवायरमेंट

(7) संकट निवारण की व्यवस्था / सतत कारोबार योजना (बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान) के ब्यौरे

4.0 *कारोबार योजना (तीन वर्षों की)*

(1) पूरा पिछला रिकॉर्ड, मुख्य घटनाएँ और वर्तमान क्रियाकलाप

(2) प्रस्तावित कारोबार योजना और उसे कैसे पूरा किया जाएगा।

(3) अनुमानित मुनाफा (अगले तीन वर्षों का)

(4) (लक्ष्य, लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली, परिणामस्वरूप होने वाली आय)

5.0 *वित्तीय जानकारी*

5.1 पूँजी संरचना *(करोड़ रुपये में)*

	चालू वर्ष के पहले से पहले वाला वर्ष	चालू वर्ष के पहले वाला वर्ष	चालू वर्ष
(क) समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल)			
(ख) खुली आरक्षितियाँ (फ्री रिज़र्वस) [पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों (रीवैल्यूएशन रिज़र्व्स) को छोड़कर]			
(ग) कुल (क) + (ख)			

5.2 आवेदक की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) *[शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए (जो आवेदन किए जाने की तारीख से 3 महीनों से अधिक पुराना न हो)]*

[उस आवेदक के मामले में लागू नहीं, जो केवल सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) की सेवाएँ देता हो]

5.3 संसाधन कितने-कितने लगाए गए *(करोड़ रुपये में)*

	चालू वर्ष के पहले से पहले वाला वर्ष	*चालू वर्ष के पहले वाला वर्ष*	*चालू वर्ष*
(क) स्थिर (अचल) आस्तियाँ			
(ख)संयंत्र (प्लांट) एवं मशीनरी और कार्यालय उपस्कर (उपकरण)			
(ग) निवेश (ब्यौरे अलग से दिए जाएँ)			
(घ) अन्य			

निवेश के ब्यौरे, उन सहयोगी (असोसिएट) कंपनियों / फर्मों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों के ब्यौरे जिनमें संप्रवर्तकों (प्रोमोटर) / निदेशकों का हित हो ।

5.4 आय के मुख्य स्रोत : *(करोड़ रुपये में)*

	चालू वर्ष के पहले से पहले वाला वर्ष	*चालू वर्ष के पहले वाला वर्ष*	*चालू वर्ष*

5.5 शुद्ध लाभ *(करोड़ रुपये में)*

	चालू वर्ष के पहले से पहले वाला वर्ष	*चालू वर्ष के पहले वाला वर्ष*	*चालू वर्ष*

5.6 मुख्य बैंकों के विवरण:

नाम, संपर्क व्यक्ति; पता; दूरभाष सं.; मोबाइल नं.; ई-मेल

5.7 लेखापरीक्षकों (ऑडिटर) के विवरण:

नाम; प्रकार (आंतरिक / बाहरी); संपर्क व्यक्ति; पता; दूरभाष सं.; मोबाइल नं.; ई-मेल

5.8 दो बैंकों से बैंकर की रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी घोषणा

6.0 *अन्य जानकारी*

6.1 ***ऐसे सभी विवादों के ब्यौरे (पिछले 3 वर्षों के), जिनका निपटारा कर दिया गया और जो लंबित हैं :***

विवाद का स्वरूप	*पक्षकार (पार्टी) का नाम*	*स्थिति (लंबित / निपटारा कर दिया गया)*	*विवाद के ब्यौरे*

6.2 ***पिछले तीन वर्षों में किन्हीं आर्थिक अपराधों में लिप्त होने का आरोप ।***

6.3 ***कोई अन्य जानकारी, जो कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्वरूप के मद्देनज़र जरूरी समझी जाए***

6.4 ***मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सदस्यता (मेम्बरशीप) के ब्यौरे:***

क. क्या आवेदक / आवेदक का कोई निदेशक, उसकी समनुषंगी (सब्सिडियरी) / उसका सहयोगी (असोसिएट) / उसकी समूह कंपनी (जिसका प्रबंधन उसी प्रबंध-मंडल के हाथों में हो) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य हैं?

ख. दलाल की रजिस्ट्रीकरण संख्या

ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को अदा की जाने वाले फीस से संबंधित ब्यौरे

घ. क्या सदस्य (मेम्बर) पर कोई आरोप लगाया गया है / उसके खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है या क्या पहले कभी ऐसी कोई कार्रवाई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की गई है ।

भाग-II : विशेष जानकारी

7.0 *कारोबार संबंधी जानकारी*

7.1 *यह उल्लेख करें कि किस प्रकार का क्रियाकलाप किया जा रहा है / किए जाने का प्रस्ताव है ।*

7.2 *यह उल्लेख करें कि पोर्टफोलियो के निवेश के संबंध में निर्णय लेने हेतु क्या सुविधाएँ मौजूद हैं ।*

7.3 *पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा जोखिम की प्रोफाइलिंग हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके ब्यौरे दें ।*

7.4 *पोर्टफोलियो प्रबंधक के यहाँ शिकायत का निवारण करने और विवाद का निपटारा करने की क्या व्यवस्था है, उसके ब्यौरे दें ।*

7.5 *उन अनुमत शेयर दलालों की सूची प्रदान करें जिनके जरिए सौदे डाले जाएंगे, जो पोर्टफोलियो प्रबंधन संबंधी क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं, और यह भी उल्लेख करें कि क्या उनमें से किसी को किसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निलंबित किया गया था / उनमें से किसी ने वहाँ चूक की थी ।*

7.6 *पोर्टफोलियो प्रबंधन संबंधी सेवाओं हेतु अपनाई जा रही / अपनाई जाने वाली लेखांकन पद्धति (अकाउंटिंग सिस्टम) का विस्तृत विवरण दें ।*

7.7 *अनुसंधान और डाटाबेस के संबंध में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का उल्लेख करें ।*

7.8 *उन क्रियाकलापों के ब्यौरे दें जिन्हें आउटसोर्स किए जाने का प्रस्ताव हो ।*

8.0 *अनुभव*

8.1 *वित्तीय सेवाएँ प्रदान किए जाने का अनुभव:*

क्रियाकलाप के ब्यौरे	*किस क्षेत्र में*	*कब से कब तक*

9.0 *अतिरिक्त जानकारी*

9.1. *ग्राहक के साथ किए जाने वाले करार (एग्रीमेंट) के मसौदे (ड्राफ्ट) की प्रति प्रस्तुत करें*

9.2. *प्रकटीकरण दस्तावेज (डिस्क्लोज़र डॉक्यूमेंट) के मसौदे (ड्राफ्ट) की प्रति प्रस्तुत करें*

9.3. *अभिरक्षक (कस्टोडियन) के ब्यौरे :*

[नाम, पता, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से प्राप्त रजिस्ट्रीकरण सं., नियुक्ति की तारीख] [उस आवेदक के मामले में लागू नहीं, जो केवल सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) की सेवाएँ देता हो]

9.4. *अन्य विनियामक निकायों (रेग्यूलेटरी बॉडी) से प्राप्त रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे*

10.0 *घोषणाएँ*

10.1. *विनियम 7(2) का पालन किए जाने के संबंध में घोषणा, जिस पर कम से कम दो निदेशकों या नामनिर्दिष्ट भागीदारों (डेज़िग्नेटिड पार्टनर) के हस्ताक्षर हों [7(2)(ङ) का पालन उस आवेदक को नहीं करना होगा, जो केवल सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) की सेवाएँ देता हो]*

10.2. *भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अनुसार 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' होने संबंधी घोषणा ।*

10.3. *इन विनियमों की अनुसूची-III के खंड 12 (ख) का पालन किए जाने के संबंध में घोषणा ।*

10.4. *फीस आदि से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के परिपत्र का पालन किए जाने के संबंध में घोषणा ।*

10.5. *इस संबंध में घोषणा कि ग्राहकों को जो रिपोर्टें भेजे जाने का प्रस्ताव है, वे किस प्रकार की होंगी और कितने-कितने समय में भेजी जाएंगी ।*

10.6. *प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को ग्राहक के खातों में अंतरित (ट्रांसफर) करने में लगने वाले समय के संबंध में घोषणा ।*

10.7. *भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को आवधिक रिपोर्टें और प्रकटीकरण दस्तावेज (डिस्क्लोज़र डॉक्यूमेंट) प्रस्तुत किए जाने संबंधी घोषणा ।*

10.8. *विनियम 27 के उप-विनियम (1) के खंड (ङ) का पालन किए जाने के संबंध में घोषणा – जिस तर्काधार पर निवेश किया गया, उसके रिकॉर्ड रखने के संबंध में ।*

10.9. *पोर्टफोलियो प्रबंधक के वेबसाइट पर प्रकटीकरण दस्तावेज (डिस्क्लोज़र डॉक्यूमेंट) के उपलब्ध होने संबंधी घोषणा ।*

"परंतु यह कि यह उप-खंड उस आवेदक के मामले में लागू नहीं होगा, जो केवल सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) की सेवाएँ देता हो ।"

10.10. *यदि आवेदक केवल सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) की सेवाएँ देता हो, तो यह उल्लेख करते हुए घोषणा कि आवेदक प्रवर्ग-I या प्रवर्ग-II की आनुकल्पिक निवेश निधि (निधियों) का प्रबंधक है ।*

10.11. घोषणा

इस घोषणा पर दो निदेशकों / नामनिर्दिष्ट भागीदारों (डेज़िग्नेटिड पार्टनर्स) के हस्ताक्षर अवश्य हों

मैं/हम, एतद्वारा, पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता/करती हूँ / करते हैं। मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ / करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर सभी प्रश्नों के सत्यतापूर्वक और पूर्ण रूप से उत्तर दिए हैं और वह समस्त जानकारी दे दी है जो मेरे/हमारे रजिस्ट्रीकरण के लिए जरूरी समझी जा सकती है।

____ *के लिए और उसकी ओर से*

(आवेदक का नाम)

________________________________ ________________________________

निदेशक/नामनिर्दिष्ट भागीदार *निदेशक/नामनिर्दिष्ट भागीदार*

________________________________ ________________________________

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) *नाम (स्पष्ट अक्षरों में)*

स्थान: *स्थान:*

तारीख: *तारीख:"*

XI. अनुसूची-IV के खंड 7 के उप-खंड (iii) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि उप-खंड (i) एवं उप-खंड (ii) सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक के मामले में लागू नहीं होंगे।"

XII. अनुसूची-V में, 'पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए प्रकटीकरण दस्तावेज का नमूना' शीर्षक के अंतर्गत खंड-III के उप-खंड (9) में, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि यह उप-खंड सह-निवेश (को-इन्वेस्टमेंट) पोर्टफोलियो प्रबंधक के मामले में लागू नहीं होगा।"

अजय त्यागी ,अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./412/2021-22]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/03 द्वारा, 16 जनवरी, 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 तत्पश्चात्,-

   क. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जी एन/2020/10, द्वारा

   ख. 16 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/10, द्वारा

   ग. 26 अप्रैल, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (दूसरा संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/16, द्वारा

   घ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (तीसरा संशोधन) विनियम 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/31, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th November, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PORTFOLIO MANAGERS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/58.— In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (c) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, namely, —

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Fourth Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the thirtieth day from the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020,—

I. In regulation 2,

i. in sub-regulation (1),

a. after clause (ab), the following clause shall be inserted, namely, —

"(ac) "Alternative Investment Fund" shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;"

b. after clause (f), the following clause shall be inserted, namely, —

"(fa) "Co-investment Portfolio Manager" means a Portfolio Manager who is a Manager of a Category I or Category II Alternative Investment Fund(s); and:

(i) provides services only to the investors of such Category I or Category II Alternative Investment Fund(s); and

(ii) makes investment only in unlisted securities of investee companies where such Category I or Category II Alternative Investment Fund(s) make investments:

Provided that the Co-investment Portfolio Manager may provide services to investors from any other Category I or Category II

Alternative Investment Fund(s) which are managed by them and are also sponsored by the same Sponsor(s);"

c. after clause (la), the following clauses shall be inserted, namely, —

"(lb) "investee company" shall have the same meaning as assigned to it in clause (o) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;

(lc) "Manager" shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;"

d. after clause (q), the following clause shall be inserted, namely, —

"(r) "Sponsor" shall have the same meaning as assigned to it in clause (w) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;"

II. In sub-regulation (2) of regulation 7,

i. in sub-clause (iii) of clause (d),

a. in the third proviso, the symbol *"."* shall be substituted with the symbol *":"*.

b. after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely,—

"Provided further that the Co-investment Portfolio Manager may designate a member of the Key Investment Team of the Manager as the principal officer who fulfils either of the criteria specified in clause (g) of regulation 4 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, and in that case the requirement under clause (d) shall not apply to the principal officer so appointed;"

ii. in sub-clause (ii) of clause (e),

a. in the second proviso, the symbol *";"* shall be substituted with the symbol *":"*.

b. after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely,—

"Provided further that the requirement under clause(e) above shall not apply to Co-investment Portfolio Manager;"

iii. in clause (g),

a. the symbol *";"* shall be substituted with the symbol *":"*.

b. the following proviso shall be inserted, namely,—

"Provided that the requirement under clause(g) shall not apply to the Co-investment Portfolio Manager;"

III. In regulation 9,

i. The symbol "." in the second proviso shall be substituted with the symbol ":"

ii. after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely,-

"Provided further that the requirement under this regulation shall not apply to the Co-investment Portfolio Manager".

IV. In regulation 11,

i. in clause (e),

a. the symbol *"."* shall be substituted with the symbol *":"*.

b. the following proviso shall be inserted, namely,—

"Provided that the requirement under clause(e) shall not apply to Co-investment Portfolio Manager.

V. In regulation 22,

i. in sub-regulation (2), the following provisos shall be inserted, namely,—

"Provided that in case of the Co-investment Portfolio Manager, the terms of co-investment in an investee company by a co-investor, shall not be more favourable than the terms of investment of the Alternative Investment Fund:

Provided further that in case of the Co-investment Portfolio Manager, the terms of exit from the Co-investment in an investee company including the timing of exit shall be identical to the terms applicable to that of exit of the Alternative Investment Fund:

Provided further that in case of the Co-investment Portfolio Manager, the early withdrawal of funds by the co-investors with respect to Co-investment in investee companies shall be allowed to the extent that the Alternative Investment Fund has also made an exit from respective investment in such investee companies."

ii. in clause (e) of sub-regulation (4), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely,—

"Provided further that the performance of the Co-investment Portfolio Manager shall be calculated in the manner as agreed between the Co-investment Portfolio Manager and the client:"

iii. in sub-regulation (6),

a. the symbol *"."* shall be substituted with the symbol *":"*.

b. the following proviso shall be inserted, namely,—

"Provided that the requirement under this sub-regulation shall not apply to Co-investment Portfolio Manager."

VI. In regulation 23,

i. in sub-regulation (2), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely,—

"Provided further that the requirement of minimum investment amount per client shall not apply to the Co-investment Portfolio Manager:"

VII. In regulation 24,

i. in sub-regulation (1),

a. in clause (b), the symbol *"."* shall be substituted with the symbol *":"*.

b. after clause (b), following proviso shall be inserted, namely,—

"Provided that the requirement under clause (b) shall not apply to the Co-investment Portfolio Manager."

ii. in clause (a) of sub-regulation (2)

a. the symbol *";" shall be substituted with the symbol ":".*

b. following proviso shall be inserted, namely,—

"Provided that clause(a) shall not apply in case of the Co-investment Portfolio Manager;"

iii. after sub-regulation (4A), the following sub-regulation shall be inserted, namely,-

"(4B) The Co-investment Portfolio Manager shall invest hundred percent of the assets under management in unlisted securities of investee companies where Category I and Category II Alternative Investment Funds managed by it as Manager, make investment;"

VIII. In regulation 26,

i. the symbol *"."* in the proviso shall be substituted with the symbol *":"*.

ii. after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely,—

"Provided further that this regulation shall not apply to a Co-investment Portfolio Manager".

IX. In the proviso to sub-regulation (1) of regulation 34,

i. the symbol *"."* shall be substituted with the symbol *":"*

ii. after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely,—

"Provided further that in case of the Co-investment Portfolio Manager, the role of compliance officer may be assigned to the principal officer appointed in terms of clause (d) of sub-regulation (2) of regulation 7."

X. FORM A of SCHEDULE 1 shall be substituted with the following, namely,-

"FORM A

Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020

Application for grant of certificate of registration

Name of Applicant: ______________________

(Name of Manager of Alternative Investment Fund in case applicant is offering Co-investment services only)

Name of Contact Person:

(Note: Compliance Officer / Principal Officer only) ______________________

Designation of Contact Person: ______________________

Mobile No: ______________________

Email: ______________________

Instructions:

1. *Applicants shall submit a completed application form together with appropriate supporting documents to the Board.*
2. *It is important that this application form should be filled in accordance with theregulations.*
3. *Application for registration shall be considered provided it is complete in all respects.*
4. *Answers shall be typewritten.*
5. *Information that is required to be provided in more detail may be given on separate sheetswhich should be attached to the application form.*
6. *All signatures shall be original.*

PART: I GENERAL INFORMATION

1.0 PARTICULARS OF THE APPLICANT

1.1 *Name of the Applicant*

(Name of Manager of Alternative Investment Fund in case applicant is offering Co-investment services only):

1.2 *PAN No. (Attach Copy of PAN Card)*

1.3 *Address of Registered office: (Attach proof of address)*

Pin Code: ___________________________

*Mobile No:*_______________________________________*Telephone No:* _________________________

*Fax No:*____*Email:* ____________________________

1.4 *Address for Correspondence:*

Pin Code: ___________________________

*Mobile No:*____*Telephone No:* _______________________

*Fax No:*____*Email:*___________________________

1.5 *Address - Principal place of business: (Where PMS activity shall be carried out)*

Pin Code: ___________________________

*Mobile No:*_______________________________________*Telephone No:* _________________________

*Fax No:*____*Email:* ____________________________

1.6 *If PMS activity is proposed to be carried out from any branch offices, details of such Branch Offices, including address, name of contact person, mobile number of contactperson, email of contact person etc:*

2.0 ORGANISATION STRUCTURE

2.1 *Objectives: In brief.*

(Memorandum and Articles of Association/ Partnership Deed to be enclosed).

(Copy of Board Resolution to be enclosed)

2.2 *Date and Place of Incorporation:*

Day Month Year Place

ROC Registration No.

2.3 *Status of the Applicant: (e.g. Limited Company-Private/Public, LLP etc. If listed, names ofthe recognized stock exchanges to be given.)*

2.4 *Organization Chart:*

[separately showing functional responsibilities (names and designations) of portfoliomanagement activities to be enclosed]

2.5 *Particulars of all Directors/ Partners:*

[Name; Address; Qualification; Date of Appointment; DIN;PAN (Copy of PAN Card); Telephone No.; Mobile; Email]

Experience:

Entity Name	*Designation*	*Area of Work*	*Nature of Work*	*Experience (In yrs)*

(Separate sheet may be attached for information on work experience)

Other Directorships/Partnerships; (Name and Date of Appointment);

Entity Name	*Date of Appointment*	*No. of Shares*	*Percentage of Shareholding*

2.6 *Particulars of Key Management Personnel*

[Name; Address; Qualification; Designation; Date of Appointment;PAN no. (Certified PAN Copy); Telephone No.; Mobile; Email]

Experience:

Entity Name	Designation	Area of Work	Nature of Work	Experience (In yrs)

(Separate sheet may be attached for information on work experience)

Other directorship details:

Name of the Entity	*Date of Appointment*	*No. of Shares*	*Percentage of Shareholding*

Following documents to be provided:

1. *Declaration that the personnel mentioned above is currently employed with the organization.*
2. *Undertaking by the personnel concerned that the details provided regarding them are true tothe best of their knowledge and belief.*
3. *Supporting documents for work experience*

2.7 *Particulars of Promoters:*

[Type (Individual/ Corporate); Name; PAN (Copy of PAN Card); Address; Telephone No.;Mobile; Email]

2.8 *Particulars of Compliance Officer*

[Name; PAN (Copy of PAN Card); Qualification, Date of Appointment; Address;]Experience:

Company Name	*Designation*	*Area of Work*	*Nature of Work*	*Experience (In yrs)*

(Separate sheet may be attached for information on work experience)

2.9 *Particulars of Principal Officer*

[Name; PAN (Copy of PAN Card); Qualification, Date of Appointment; Address;]

Certification Details:

Certification Program	*Date of Test*	*Result*	*Percentage*	*Certificate No.*	*Validity From*	*Validity Till*

Following documents to be provided:

1. *Bio-Data detailing the relevant experience as per Regulation 7(2)(d) of the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020.*
2. *Copy of Certifications.*
3. *Certificate stating that the Principal Officer has been appointed and is compliant with therequirements and is not otherwise disqualified under the Regulations.*
4. *In case the applicant providing Co-investment Portfolio Management services designates any one member of the Key Investment Team of the Manager, who fulfils either of the criteria, viz. experience or professional qualification, as specified in Regulation 4(g) of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 as principal officer, an undertaking to this effect to be provided.*

2.10 *Other SEBI Registration Details Registered:*

Registration No.	*Role*	*Company Name*	*Stock Exchange*	*Registration Start*	*Registration End*	*Registration Status*

Applied:

Application No.	*Role*	*Company Name*	*Stock Exchange*	*Application Date*	*Application Status*

2.11 *Number of employees*

(Total number of employees and number of employees for Portfolio Management services)

2.12 *Name and activities of associate companies/ entities*

Name of company /entity	*Address/ phone numbers*	*Type of activity handled*	*Nature / Quantum of financial dealing*	*Nature of interest of promoter /director*	*Nature of interest of applicant company/ entity*

Ownership details:

Name of the Shareholder	*No. of Shares*	*Percentage of Shareholding*

Details of Registration with SEBI or any other Govt. Regulatory Body:

Name of Regulator	*Registration No.*	*Registration Start Date*	*Registration End Date*	*Registration Status*	*Details of Action Taken in past (if any)*

2.13 *List of major shareholders/ partners of the Applicant (holding 5% or more voting rights):*

[Name; Type; Address; Telephone No.; Mobile; Email; Share holding pattern/ partnershipinterest/ voting rights as on Date]

3.0 DETAILS OF INFRASTRUCTURAL FACILITIES

3.1 Principal Place of Business

(1) Office Space

(2) Office Equipment

(3) Furniture and Fixtures

(4) Communication Facilities

(5) Data Processing Capacity

(a) In-house

(b) Others

(6) Computer facility:

(a) Hardware configuration

(b) Software Environment

(7) Details of Disaster Recovery Set up / Business Continuity Plan

3.2 Branch Office

(1) Office Space

(2) Office Equipment

(3) Furniture and Fixtures

(4) Communication Facilities

(5) Data Processing Capacity

a. In-house:

b. Others:

(6) Computer facility:

a. Hardware configuration

b. Software Environment

(7) Details of Disaster Recovery Set up / Business Continuity Plan

4.0 BUSINESS PLAN (FOR THREE YEARS)

(1) History, Major events and present activities

(2) Proposed business plan and means of achieving the same.

(3) Projected Profitability (Next three years)

(4) (Targets, modus operandi to achieve targets, Resultant Income)

5.0 FINANCIAL INFORMATION

***5.1 Capital Structure** (Rs. in Crore)*

	Year prior to the preceding year ofcurrent year	*Preceding year*	*Current year*
(a) Paid-up capital			

(b) Free reserves (excludingrevaluation reserves)			
(c) Total (a) + (b)			

5.2 Net worth of Applicant *(Net worth certificate not older than 3 months from the date of application to be enclosed)*

(Not applicable in case of applicant offering Co-investment services only)

5.3 Deployment of Resources *(Rs. in Crore)*

	Year prior to the preceding year ofcurrent year	*Preceding year*	*Current year*
(a) Fixed Assets			
(b) Plant and Machinery and office equipment			
(c) Investments (Details shouldbe given separately)			
(d) Others			

Details of investments, Loans and Advances made to Associate Companies/ Firms wherePromoters/Directors have an interest

5.4 Major Sources of Income: *(Rs. in Crore)*

	Year prior to the preceding year of currentyear	*Preceding year*	*Current Year*

5.5 Net Profit *(Rs. in Crore)*

	Year prior to the precedingyear of current year	*Preceding year*	*Current Year*

5.6 Particulars of Principal Banks:

Name, Contact Person; Address; Telephone No.; Mobile; Email

5.7 Particulars of Auditors:

Name; Type (Internal/ External); Contact Person; Address; Telephone No.; Mobile; Email

5.8 Declaration of submission of Banker's Report from two Banks

6.0 OTHER INFORMATION

6.1 *Details of all settled and pending disputes of previous 3 years:*

Nature of dispute	*Name of the party*	*Status (Pending/ settled)*	*Dispute Details*

6.2 *Indictment of involvement in any economic offences in the last three years.*

6.3 *Any other information considered relevant to the nature of services rendered by thecompany.*

6.4 *Details of Membership with the recognized Stock Exchanges:*

a. If the applicant / any of the Directors of the applicant, its subsidiary / associate / groupcompany under the same management, are members of recognized stock exchanges?

b. Broker Registration Number

c. Details regarding payment of fees to SEBI

d. Whether the member is facing any charges/ disciplinary action or if in past any suchaction was taken by the stock exchange

PART II SPECIFIC INFORMATION

7.0 BUSINESS INFORMATION

7.1 *Indicate type of activity carried on/ proposed to be carried on.*

7.2 *Indicate the facilities for making decision on portfolio investment.*

7.3 *Details of risk profiling procedure to be followed by the Portfolio Manager.*

7.4 *Details of grievance redressal and dispute resolution mechanism to be followed by thePortfolio Manager.*

7.5 *Provide list of approved share brokers through whom orders shall be placed, involved for Portfolio Management activities and state whether any of them were suspended/had defaulted with any Stock Exchange authority.*

7.6 *Describe Accounting system followed/to be followed for Portfolio ManagementServices.*

7.7 *Indicate various research and database facilities provided.*

7.8 *Details of activities proposed to be outsourced.*

8.0 EXPERIENCE

8.1 *Experience in financial services rendered:*

Details of Activity	*Area*	*Period*

9.0 ADDITIONAL INFORMATION

9.1. *Copy of Draft Agreement with Client to be provided*

9.2 *Copy of Draft Disclosure Document to be provided*

9.3. *Details of Custodian:*

(Name, Address, SEBI Registration No., Date of Appointment)

(Not applicable in case of applicant offering Co-investment services only)

9.4. *Details of Registration with other Regulatory bodies.*

10.0 DECLARATIONS

10.1. Declaration of compliance with Regulation 7(2) signed by at least Two Directors or designated partners

(compliance with Regulation 7(2)(e) shall not be applicable in case of applicant offering Co-investment services only)

10.2. Declaration for Fit and Proper Person as specified in the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations,2008

10.3. Declaration of Compliance with clause 12 (b) of Schedule III of these Regulations.

10.4. Declaration of Compliance with SEBI circular on fees and charges.

10.5. Declaration of type and frequency of reports sent/ proposed to be sent to clients.

10.6. Declaration of time taken for transfer of securities into client accounts.

10.7. Declaration of submission of periodic reports and Disclosure Document to SEBI.

10.8. Declaration of compliance with clause (e) of sub-regulation (1) of Regulation 27 - regarding maintenance of records for Investment rationale.

10.9. Declaration of availability of Disclosure document on website of Portfolio Manager.

"Provided that this sub-clause shall not apply in case of applicant offering only Co-investment services."

10.10. In case of applicant offering Co-investment services only, declaration stating that the applicant is a Manager of a Category I or Category II Alternative Investment Fund(s).

DECLARATION

This declaration must be signed by two directors/designated partners

---

I/We hereby, apply for Registration as Portfolio Manager. I/We do hereby declare that I/We have truthfully and fully answered the questions above and provided all the information which might reasonably be considered relevant for the purposes of my/our registration.

For and on behalf of

____

(Name of Applicant)

____________________	____________________
Director/Designated Partner	*Director/Designated Partner*

_________________________________ _________________________________

Name in Block Letters *Name in Block Letters*

Place: *Place:*

Date: *Date:”*

XI. in sub-clause (iii) of clause 7 of Schedule IV, the following proviso shall *be inserted, namely,-*

“Provided that sub-clauses (i) and (ii) shall not apply in case of Co-investment Portfolio Manager.”

XII. in sub-clause (9) of clause III of the *MODEL DISCLOSURE DOCUMENT FOR PORTFOLIO MANAGEMENT* in SCHEDULE V, the following proviso shall be inserted, namely,-

“Provided that this sub-clause shall not apply in case of the Co-investment Portfolio Manager.”

AJAY TYAGI ,Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./412/2021-22]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, were published in the Gazette of India on January 16, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/03.
2. The Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020 were subsequently amended on, –
   a. 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
   b. 16th March, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/10.
   c. 26th April, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/16.
   d. 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/31.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.11.10 17:59:13 +05'30'